ई-मेल

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/सम्पदा/2022-23/262/हाईटेक//342 भोपाल, दिनांक 16/12/2022

प्रति

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति ---------------

जिला ---------------

विषय- "अ" श्रेणी मडियों को हाईटेक (आदर्श) मंडी मंडी बनाने बावत।

संदर्भ- मंडी बोर्ड द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 16/05/2018 का कार्यवाही विवरण।

संचालक मंडल की 131वी बैठक दिनांक 27/03/2018 के प्रस्ताव क्रमांक-08 पर निर्णय के अनुपालन में आर्दश मंडी की माडल डीपीआर एवं गाईडलाईन इत्यादि का निर्धारण करने हेतु आयोजित बैठक दिनांक 16/05/2018 में लिये गये निर्णय की कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 415 दिनांक 20/06/2018 से जारी, के समस्त बिन्दुओं का परीक्षण उपरांत विषयान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध करावे।

संलग्न- कार्यवाही विवरण

(कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/सम्पदा/2022-23/262/हाईटेक//343 भोपाल, दिनांक 16/12/2022

प्रतिलिपि-

01- निज सहायक प्रबंध संचालक सह आयुक्त मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

02- अधीक्षण यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

03- संयुक्त संचालक म.प्र. राज्य क्रषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय -------------

04- कार्यपालन यंत्री म.प्र. राज्य क्रषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग-----------------

अपर संचालक (प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

किसान मंच

दिनॉक 19 अक्टूबर 2022 समय दोपहर 3 बजे

चर्चा के प्रमुख बिन्दु

मंडी बोर्ड

कार्यवाही विवरण

1- मंडियों मे आधुनिक मानक परीक्षण मशीन लगवाई जाए।

मंडियों में कृषि उपज की जांच हेतु मानक परीक्षण मशीन लगवाई जाएगी।

2- समर्थन मूल्य की उपज जहां बड़े तौल कांटे हो वहां तौल कांटे पर तौली जाए।

जहां बड़े तौलकांटे है वहां बड़े तौलकांटे पर समर्थन मूल्य की उपज की तौल किए जाने के निर्देश जारी है जिसका प्रभावी अनुपालन कराया जाएगा। किसान पदाधिकारियों की मांग अनुसार 10 मी.टन के तौल कांटे लगाने की कार्यवाही की जाएगी।

3- कृषि उपज मंडी मे लहसुन, प्याज, अनाज साफ करने, भरने, छानने का कार्य करने वाली महिलाओं को भी हम्माल का दर्जा दिया जाये।

मण्डी में अनाज साफ करने, भरने, छानने, बीनने आदि का कार्य करने वाली महिलाओं को कृत्यकारी का लायसेंस देने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

4- मंडी में बाहर खरीदी हो रही है सौदा पत्रक नहीं होने के कारण किसानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों का पैसा डूब रहा है उस पर कार्यवाही की जाए।

सौदा पत्रक यथावत प्रवर्त है। किसानों के भुगतान हेतु अधिनियम अनुसार दैनिक क्रय के समतुल्य प्रतिभूति प्राप्त कर कृषकों के भुगतान जोखिम की सुरक्षा करने की कार्यवाही की जाती है। जिस पर प्रभावी

अमल कराया जाएगा।